2013/00029
2013/00028

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 23/2013 (राजसमन्द डिक्री)

मोहनलाल पिता केसू जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1. यदुनन्दन पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. रमेश पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती संतोष पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती जमना पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती लीला पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती सीमा पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती कमला बेवा मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती खमाणी बेवा मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मियाला उर्फ माला पिता रामा जी भील, निवासी पनोतिया, हाल भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. केसू पिता नवला जी गुर्जर निवासी पनोतिया, हाल भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

2/1. भंवरलाल पिता केसू जी गुर्जर, निवासी पनोतिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. नारू पिता केसू जी गुर्जर, निवासी पनोतिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. हरलाल पिता केसू जी गुर्जर, निवासी पनोतिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. श्रीमती तुलसी पत्नी नारायण जी गुर्जर, निवासी साकरोदा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

3. हजारी पिता केला जी भील, निवासी गलवा (लाठियों की खेड़ी), तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (मृतक) के बजाय :—

3/1. नेनूलाल पिता हजारी जी भील, निवासी गलवा (लाठियों की खेड़ी), तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

3/2. गोमा पिता हजारी जी भील, निवासी गलवा (लाठियों की खेड़ी), तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

3/3. पन्नालाल पिता हजारी जी भील, निवासी गलवा (लाठियों की खेड़ी), तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

3/4. श्रीमती चांदी बाई पिता हजारी जी भील, निवासी गलवा (लाठियों की खेड़ी), तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्तबहस) 1— श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2— एस.एस. पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

2. प्रकरण संख्या 26/2013 (राजसमन्द डिक्री)

मियाला उर्फ माला पिता रामा जी भील, निवासी पनोतिया, हाल भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. केसू पिता नवला जी गुर्जर निवासी पनोतिया, हाल भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :—

1/1. भंवरलाल पिता केसू जी गुर्जर, निवासी पनोतिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. नारू पिता केसू जी गुर्जर, निवासी पनोतिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. श्रीमती वरजू विधवा केसू जी गुर्जर, निवासी पनोतिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (नाम तर्क)

1/4. हरलाल पिता केसू जी गुर्जर, निवासी पनोतिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. श्रीमती तुलसी पत्नी नारायण जी गुर्जर, निवासी साकरोदा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2. हजारी पिता केला जी भील, निवासी गलवा (लाठियों की खेड़ी), तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (मृतक) के बजाय :—

2/1. नेनूलाल पिता हजारी जी भील, निवासी गलवा (लाठियों की खेड़ी), तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

2/2. गोमा पिता हजारी जी भील, निवासी गलवा (लाठियों की खेड़ी), तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

2/3. पन्नालाल पिता हजारी जी भील, निवासी गलवा (लाठियों की खेड़ी), तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

2/4. श्रीमती चांदी बाई पिता हजारी जी भील, निवासी गलवा (लाठियों की खेड़ी), तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

3. मोहनलाल पिता केसू जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :—

3/1. यदुनन्दन पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

3/2. रमेश पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

3/3. श्रीमती संतोष पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

3/4. श्रीमती जमना पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

3/5. श्रीमती लीला पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

3/6. श्रीमती सीमा पिता मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

3/7. श्रीमती कमला बेवा मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

3/8. श्रीमती खमाणी बेवा मोहनलाल जी भील, निवासी कोयड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

---::---

उपस्थित (वक्तबहस) 1— श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट

2— श्री संजय बोहरा अभिभाषक रे.सं. 3/1 से 3/8

---::---

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 28.06.2013, प्र.सं. 121/10

---::---

निर्णय **दिनांक 11—10—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में मियाला द्वारा केसू, हजारी व मोहनलाल के विरूद्ध एक वाद घोषणा कब्जेयाबी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है एवं वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित ग्राम पनोतिया की कुल किता 2 रकबा 1.6900 हैक्टर भूमि उसे अन्त्योदय योजना में दी गयी है। वादी ने इस भूमियों को मेहनत कर काबिल काश्त बताया व इस पर कुंआ भी खुदवाया। वाद वर्णित भूमियां

प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि के समीप स्थित हैं एवं दोनों भूमियों की सीमाऐं मिलती हैं। प्रतिवादी संख्या 1 पैसे वाला व्यक्ति है, वादी आवश्यकता होने से उसे छोटी मोटी रकम व अनाज उधार लाता रहता है व अदायगी करता रहता है। वादी परिवार के सार पोरबन्दर मजूदर पर जाने लगा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से 1300/– बकाया के मांगे, उस समय वादी अदायगी करने में असमर्थ था, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से आराजियात रहन रख कर जाने को कहा और उसे तहसील आमेट लेकर जाकर गिरवीनामा लिखवाने का कह कर स्टाम्प खरीदवाये और उस पर वादी को गिरवानामा लिखा जाकर बताकर उसकी अंगूठा निशानी करवायी। वादी ने वापस आने पर अपनी जमीन वापस दिलाने हेतु जिला कलक्टर (सतर्कता) राजसमन्द व जयपुर को लिखा, जिस पर तहसील मे मार्फत जमीन दिलाने का आदेश हुआ। दिनांक 25–06–2003 को वादी को पटवारी एवं तहसीलदार ने बुलाया और जमीन वापस सिपुर्द करने की बात कह कर कागजात पर अंगूठा लगवा लिये एवं बिना कब्जा सिपुर्द किये चले गये, जिसकी शिकायत वादी ने जिला कलक्टर के यहां की, तो उससे कहा गया कि आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय हो चुकी है इसलिए कब्जा नहीं दिलाया जा सकता, जिस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो उसे समस्त तथ्यों की जानकारी हुई। वादी अनपढ़ भील होकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, जिससे रहननामा कह कर अंगूठा लगवाया गया है। अतएवं निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उसे पुनः कब्जा दिलाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद के खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात पूर्व में वादी के खाते अवश्य दर्ज थी, किन्तु दिनांक 06–12–1980 को उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 हजारी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय 3000/– रूपये में किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में विधिवत नामान्तरकरण खुला है, जिसकी जानकारी वादी को पहले से ही थी। प्रतिवादी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गयी है, जिसे 23 वर्ष हो चुके हैं। किसी भी पंजीकृत विक्रय पत्र को बिना सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये

राजस्व न्यायालय में वाद नहीं चल सकता है। अतएवं वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रकरण में दिनांक 16–09–2005 को निम्नानुसार 3 तनकियात कायम की :–

1. आया वाद पत्र की कलम नंबर 1 में वर्णित आराजियात के लिए दिनांक 06–12–1980 को विक्रय तादादी 3000/– रूपये प्रतिवादीगण द्वारा बिना कपट पूर्व व बिना मिथ्या वचन किये वादी से निष्पादित कराया ? ....प्रतिवादीगण
2. आया विक्रय पत्र को बिना निरस्त कराये वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है ? ....प्रतिवादीगण
3. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 15–02–2012 को निम्नानुसार 1 अन्य तनकी भी कायम की गयी :–

1. आया प्रतिवादी संख्या 2 से प्रतिवादी संख्या 3 ने विवादित आराजियात को इस वाद के लम्बनकाल में क्रय की ?.............. वादी

प्रकरण में दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 केसू की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान को संस्थित किया गया। प्रकरण में दौराने कार्यवाही भूमियों का विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 मोहनलाल को किये जाने से उसके द्वारा भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि उसके द्वारा भूमियां खातेदारी आधिपत्य होने के कारण क्रय की गयी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 विधिक खातेदार था।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय करते हुए अपने निर्णय दिनांक 28–06–2013 से वादी का वाद स्वीकार कर उसे विवादित भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया।

अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 121/2010 (76/2003) निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2013 से रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 3 मोहनलाल द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 23/2013 दिनांक 08–07–2013 को प्रस्तुत की। इसी प्रकार वादी द्वारा अपील संख्या 26/2013 इस न्यायालय में दिनांक 10–08–2013 को प्रस्तुत की गयी।

उक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण व निर्णय के विरूद्ध होने तथा प्रकरण में पक्षकारान व विषय वस्तु समान होने से प्रकरण में एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

सर्व प्रथम हम प्रथम अपील संख्या 23/2013 पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। इस अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री श्याम सुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के वारिसान बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने यह वाद विक्रय पत्र निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया था, जिसका क्षेत्राधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है। वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है, लेकिन बाद में लोगों के बहकावे में आकर वाद प्रस्तुत किया है। प्रकरण में तनकियात पर शहादत ली जाकर तनकीवार निर्णय किया जाना चाहिए था। विवादित भूमि पर कब्जा अपीलान्ट होकर मौके पर फसल खड़ी है। वादी ने स्वयं के अलावा स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किये हैं। अधिनस्थ न्यायालय का सारा आदेश कयासी आधारों पर है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कायम शुदा तनकियात पर तनकीवार विवेचन नहीं किया है, जो स्पष्टतया आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है। अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे बाबत् कोई विवेचन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय को वाद के मूल तथ्य विक्रय पत्र वोईडेबल है अथवा

वोईड इस बाबत् विनिश्चयन किया जाना आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र विधि विरूद्ध व प्रभाव शून्य होने अथवा शून्यकरणीय योग्य होने बाबत् कोई विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि वादी ने अपना कब्जा होना नहीं बताया है, ऐसी स्थिति में कब्जे बाबत् विवेचन किया जाना वांछनीय था तथा कब्जा नहीं तो खातेदारी नहीं इस सिद्धान्त पर विवेचन किये बिना ही अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित किया है जो जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं प्रथम अपील संख्या 23/2013 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2013 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11–12–2018 को उपस्थित रहें।

प्रकरण में जहां तक द्वितीय अपील संख्या 26/2013 का प्रश्न है, जो वादी मियाला द्वारा प्रस्तुत की गयी है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में अपीलान्ट मियाला द्वारा मुख्य रूप से यह उजर लिया गया कि वादी के कब्जे की सहायता नहीं देने में विधिक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जब वादी को खातेदार मान लिया गया है तो कब्जा नहीं दिलाने का कानूनन कोई औचित्य नहीं है, कब्जा दिलाया जाना न्याय संगत होता है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की त्रुटियों के सन्दर्भ में उपर प्रथम अपील में विवेचन किया जा चुका है तथा इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि स्वयं वादी/अपीलान्ट ने अपना कब्जा नहीं होना बताया है, तो कब्जे बाबत् विवेचन कब्जे के अभाव में किसी को खातेदार घोषित नहीं

किया जा सकता है, क्योंकि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कब्जा नहीं तो खातेदारी नहीं, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2006 (4) आर.एल.डब्ल्यू. पेज 3070, 2003 (3) डी.एन.जे. (सुप्रिम कोर्ट) पेज 841, ए.आई.आर. 1990 सुप्रिम कोर्ट पेज 1173, ए.आई.आर. 1990 उड़ीसा पेज 64, आर.आर.डी. 1984 पेज 851, आर.आर.डी. 1998 पेज 478, आर.आर. डी. 1984 पेज 280, आर.बी.जे. 1996 (3) पेज 158, आर.आर.डी. 2000 पेज 391, आर.आर.डी. 2002 पेज 691 एवं आर.एल.डब्ब्ल्यू. 2012 (4) राज. पेज 2932 प्रस्तुत की हैं, जिनका हमारे द्वारा अवलोकन किया। उक्त नजीरों का हम सम्मान करते हैं, किन्तु उक्त नजीरों के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं। तद्नुसार यह न्यायिक नजीरें वादी/अपीलान्ट की कोई सहायता नहीं करते हैं।

अतएवं द्वितीय अपील संख्या 26/2013 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2013 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11–12–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास .... **एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

पृथ्वीराज पिता नानजी, जाति जाट निवासी मालीखेड़ा, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **दलीचन्द पिता सवाईराम, जाति जाट निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं॰...........**24/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**राजसमन्द**...... मुकाम................मुवर्खे.............**22**...............माह..............**07**.............**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**11**......माह........**04**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री अब्दुल बहाव**............मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री मुकेश द्विवेदी**.......

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22–07–2013 यथावत रखी जाती**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**11**......माह.......**04**...........**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।